

कार्यालय – मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक:- 2020

दिनांक:- 28/8/2023

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1981 दिनांक 25.08.2023 के द्वारा माह सितम्बर, 2023 में दिनांक 03.09.2023 को राजकीय अवकाश के दिन जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के सांगानेर/चाकसू मुख्यालय की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों (जिनमें जमानत, रिमाण्ड, 164 दं.प्र.सं. के बयान व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई हेतु न्यायालय, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-13, सांगानेर, जयपुर महानगर प्रथम के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक Estt.(RJS)/56/2023 दिनांक 23.08.2023 द्वारा उक्त पीठासीन अधिकारी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित Junior Personal Assistant, 2023 परीक्षा में संबंधित दिनांक को ड्यूटी देने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त आदेश को इस आदेश की सीमा तक अतिलिखित करते हुए उक्त दिवस को सांगानेर/चाकसू मुख्यालय पर आवश्यक फौजदारी कार्य करने हेतु निम्न न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया जाता है:-

क्र०सं०.	अवकाश की दिनांक	नाम न्यायालय	पीठासीन अधिकारी (सुश्री/श्रीमती/श्री) का नाम व मोबाईल नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)
सांगानेर एवं चाकसू मुख्यालय हेतु			
1.	03.09.2023	एम.एम., क्रम-18, सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम	नेहा कुमावत, आर.जे.एस. मो० नं० 80586-79541
2.	09.09.2023	ए.सी.एम.एम., क्रम-13, सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम	हिमानी चतुर्वेदी, आर.जे.एस. मो० नं० 96720-12555

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

क्रमांक:- 2021 to 2029

दिनांक:- 28/8/2023

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि यदि सम्बन्धित अधिकारी को उक्त अवकाश दिवस का मुख्यालय परित्याग की अनुमति प्रदान की गई हो तो कृपया उसे निरस्त करने की कृपा करें।
- श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त में से किसी अधिकारी को लोक अदालत/अन्य विधिक सेवा से सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया हुआ हो तो उसे उक्त कार्य से उन्मुक्त करने का श्रम करें।
- सहायक निदेशक, अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर।
- दी बार एसोसियेशन, बनीपार्क, जयपुर।
- अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-13/महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-18 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम।
- पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को प्रतिलिपि भेज कर लेख है कि समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किया जावे।
- आदेश पत्रावली/कार्यालय प्रति।
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश से सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/पुलिस विभाग के अधिकारीगण/समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर आदि सभी को ई-मेल/मैसेज के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी के सम्बन्ध में सूचित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
- वरिष्ठ लिपिक, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम।

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।